मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2007 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 23 जुलाई, 2007 (श्रावण 1, 1929)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अध्यादेशों को पटल पर रखेंगे :-

(1) न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2007 (क्रमांक 3 सन् 2007),

(2) मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अध्यादेश, 2007 (क्रमांक 4 सन् 2007); तथा

(3) मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (क्रमांक 5 सन् 2007).

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री-

(क) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006 ; तथा

(ख) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 75 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006 पटल पर रखेंगे.

(2) कुंवर विजय शाह, आदिम जाति कल्याण मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम का सातवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री गृह, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का चौबीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2004-2005 पटल पर रखेंगे.

4. फरवरी-अप्रैल, 2007 सत्र निर्धारित अवधि से पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना.

5. नियम 267-क के अधीन फरवरी-अप्रैल, 2007 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

6. राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

7. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री आरिफ अकील, रामनिवास रावत, सदस्य, भोपाल जिले के पिपलानी थाना अंतर्गत डकैतों द्वारा एक परिवार को घायल कर लूट-पाट किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, रीवा जिले के वन क्षेत्रों में खनिज का अवैध उत्खनन होने की ओर राज्य मंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

8. सभापति तालिका की घोषणा

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के -

(क) ओरछा बांध बहुउद्देशीय परियोजना की स्वीकृति दिलाये जाने, तथा

(ख) ओरछा पर्यटन स्थल के पहाड़ियों पर वृक्षारोपण कराये जाने,

(2) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर जिले के -

(क) श्योपुर तहसील के खतौली मार्ग से ग्राम टर्राकला तक पहुंच मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(ख) ग्राम उदौतपुरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण कराये जाने,

(ग) ग्राम पंचायत राघवपुरा की बस्ती में विद्युतीकरण कराये जाने; तथा

(घ) ग्राम पंडोला में पंचायत कार्यालय से सरस्वती शिशु मंदिर तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने,

(3) श्री अर्जुन पलिया, सदस्य, होशंगाबाद जिले के -

(क) वनखेडी विकासखंड के ग्राम गाडरवारा खुर्द तथा इमलिया के बीच रपटा का निर्माण कराये जाने,

(ख) ग्राम ठुंठा दहलवाड़ा से नयागांव तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(ग) ग्राम तरौन कला में माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने

(घ) नगर पालिका पिपरिया की माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने; तथा

(ङ) ग्राम रामपुर की माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,

(4) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के -

(क) ग्राम पक्कापुरा में कटाव रोकने हेतु पक्की दीवार बनाये जाने,

(ख) बघपुरा से महूखेड़ा तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(ग) ग्राम रामपुर से छन्ते के पुरा तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(घ) ग्राम पक्कापुरा से ऐसाह तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(ङ) ग्राम कोकसिंह के पुरा से बहरारा तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(च) ग्राम बरोली से भैंसरोली के बीच नहर पर पुलिया बनाये जाने,

(छ) ग्राम खण्डोली में उप-स्वास्थ्य केन्द्र का भवन बनाये जाने,

(ज) ग्राम नन्दपुरा में आंगनबाड़ी केन्द्र का भवन बनाये जाने,

(झ) ग्राम विष्ड़वा के नाले पर अनुसूचित जाति बस्ती में पुलिया का निर्माण कराये जाने,

(ञ) ग्राम गौंसपुर के माध्यमिक विद्यालय में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कराये जाने,

(ट) तुस्सीपुरा शाला मंदिर पर हैण्ड पम्प खनन कराये जाने,

(ठ) ग्राम सुमावली में विश्राम गृह का निर्माण कराये जाने; तथा

(ड) ग्राम हंसराज के पुरा को प्रधानमंत्री सड़क योजना में जोड़े जाने,

(5) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के -

(क) तहसील लहार में तहसील भवन एवं ए.डी.जे. कोर्ट का निर्माण कराये जाने,

(ख) भाण्डेर मार्ग से रूरई, आलमपुर मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(ग) ग्राम रावतपुरा, जैतपुरा मंड़ी मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(घ) लहार में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना हेतु भूमि आवंटित कराये जाने,

(ङ) भाण्डेर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने; तथा

(च) आलमपुर एवं लहार में होम्योपैथिक औषधालय के भवन का निर्माण कराये जाने,

(6) श्री राजेन्द्र शुक्ल, सदस्य, रीवा जिले के -

(क) राष्ट्रीय राज मार्ग क्रमांक-7 पर किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिलाये जाने; तथा

(ख) रीवा नगर के आवासहीनों को राजीवगांधी आश्रय योजना का लाभ दिये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

10. लोक लेखा तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में रिक्त एक-एक स्थान की पूर्ति हेतु निर्वाचन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि -

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उप नियम (3) तथा नियम 223-क के उप नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2007-2008 की शेष अवधि के लिये लोक लेखा समिति में रिक्त एक स्थान तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में रिक्त एक स्थान की पूर्ति के लिये अपने में से क्रमशः एक-एक सदस्य के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों.".

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, दण्ड प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 15 सन् 2007) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री तुकोजीराव पवार, राज्य मंत्री उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) विधेयक, 2007 (क्रमांक 16 सन् 2007) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

12. नियम-139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में नकली खाद, बीज वितरण से कृषि उत्पादन में कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री सत्यदेव कटारे, सज्जन सिंह वर्मा तथा डॉ. गोविंद सिंह, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

13. प्रतिवेदनों पर चर्चा

जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2003-04 पर चर्चा.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक 22 जुलाई, 2007